सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 4 अक्तूबर, 2016

संख्याः एस0जे0ई0–ए–ए(3)–1/2015.—प्रारूप संशोधन नियम नामतः "हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016", हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 (1997 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 22 के उपबन्धों के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 28 जुलाई, 2016 द्वारा इनसे सम्भाव्य प्रभावित व्यक्तियों से, इनके प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमन्त्रित करने के लिए राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 2 अगस्त, 2016 को प्रकाशित किए गए थे;

और, क्योंकि नियत अवधि के भीतर उक्त प्रारूप नियमों से संबंधित जन साधारण से कोई भी आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 21) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **नियम 4 का प्रतिस्थापन.**—हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"4. **विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु फीस.**–(1) धारा 8 की उप–धारा (1) के अधीन विवाह का ज्ञापन दो सौ रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, और आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्ब की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पच्चीस रुपए होगी। यदि विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए ज्ञापन तीन दिन के अवसान के पश्चात् किन्तु नब्बे दिन से पूर्व प्राप्त होता है तो चार सौ रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी और आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्ब की दशा में पचास रुपए फीस प्रभारित की जाएगी।

(2) अनुष्ठापित या किया गया विवाह, जिसकी रिपोर्ट नब्बे दिन के भीतर नहीं की गई है, किन्तु जिसकी रिपोर्ट एक वर्ष के पूर्व की गई है, जिला विवाह रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में चार सौ रुपए की राशि प्रभारित की जाएगी । आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपये होगी:

परन्तु यदि विवाह जिसका रजिस्ट्रीकरण इसके होने के एक वर्ष के भीतर नहीं किया गया है तो उसका रजिस्ट्रीकरण, केवल विवाह की सत्यता या सत्यापन करने के पश्चात् प्रथम वर्ष के मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश पर ही चार सौ रुपए की फीस का संदाय करने पर विवाह रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा। आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपए होगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण फीस, विवाह रजिस्ट्रार के पक्ष में नकद द्वारा या मनीऑर्डर के माध्यम से जमा की जाएगी और ऐसी फीस के प्राप्ति पर, विवाह रजिस्ट्रार प्ररूप–4 में रसीद जारी करेगा।

(4) स्वैच्छिक विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु ज्ञापन, यदि विवाह की तारीख से तीन दिन के अवधि के अवसान के पश्चात् भेजा या परिदत्त किया जाता है तो उसे चार सौ रुपए की विलम्ब फीस के साथ किया जाएगा। आई0आर0डी0पी0/बी0पी0एल0 कुटुम्बों की दशा में विवाह रजिस्ट्रीकरण फीस पचास रुपए होगी।

(5) विदेश में किए गए विवाह के रजिस्ट्रीकरण या ज्ञापन एक हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा''।

आदेश द्वारा,
सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन संख्याः उपरोक्त दिनांक : शिमला–02, 04 अक्तूबर, 2016

प्रतिलिपियां निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अति0 मुख्य सचिव (शहरी विकास) हिमाचल प्रदेश सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस मामले का व्यापक प्रचार आरंभिक स्तर तक किया जाये।
2. सचिव (ग्रा0 वि0/पं0रा0) हिमाचल प्रदेश सरकार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि इस मामले का व्यापक प्रचार आरंभिक स्तर तक किया जाये।
3. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02.
4. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
5. समस्त उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/जिला दण्डाधिकारी/उप–मण्डलाधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/सचिव नगर निगम/सचिव नगरपालिका/सचिव छावनी मण्डल/सचिव नगर पंचायत/सचिव ग्राम पंचायत, हिमाचल प्रदेश।
6. नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हिमाचल प्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
7. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश।
8. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां

(रमेश कुमार गुप्ता),
उप सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0),
हिमाचल प्रदेश सरकार।